



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 11.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1—थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 2.6 कि०ग्रा० चरस के साथ दो तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में मादक पदार्थ की बिक्री/तस्करी करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी तथा चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बिलारी के नेतृत्व में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना कुन्दरकी पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. मुम्तियाज पुत्र शब्बीर निवासी मौ० ख्वाजानगर ब्लोक के पीछे, कस्बा व थाना कुन्दरकी मुरादाबाद 2. अब्दुल हकीम पुत्र अल्लादीन निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर



जनपद मुरादाबाद को थाना कुन्दरकी क्षेत्रांतर्गत चकफाजल रोड पुल के नीचे से 2.6 किग्रा चरस सहित गिरफ्तार किया गया। चरस की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 01 करोड रुपये है। इस संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुन्दरकी पर मु०अ०स०-10/25 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत करते हुये आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मुम्तियाज पुत्र शब्बीर निवासी मौ० ख्वाजानगर ब्लोक, कस्बा व थाना कुन्दरकी, मुरादाबाद।
2. अब्दुल हकीम पुत्र अल्लादीन निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

कुल 2.6 किग्रा चरस (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 01 करोड रुपये)

पूछताछ का विवरण---

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि उक्त चरस को हम जनपद में आस-पास के ढाबो पर बाहर से आ रहे ट्रक वालों को मांग के अनुसार बेच देते हैं तथा नकद भुगतान पाते हैं। इससे हमें मोटा मुनाफा होता है। चरस बेचकर मिले रूपयों को हम परिवार की जरूरतों तथा मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। अभियुक्तगण से गहनता से पूछताछ जारी है।

आपराधिक इतिहास – (अब्दुल हकीम पुत्र अल्लादीन)

मु०अ०स०- 110/18 धारा 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद।

मु0अ0सं0 111/18 धारा 4/25 A.Act थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 127/15 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ।
मु0अ0सं0 334/22 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम थाना कुन्दरकी-

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार सहरावत थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 यूटी गगन शर्मा थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
हे0का0 सुखनन्दन थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
का0 आकाश कुमार थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद
नोट- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

2.-चोरी की 02 मो0सा0 व 02 अवैध तमंचे,जिंदा कारतूस के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार,थाना गलशहीद:-

अवगत कराना है दिनांक 28.12.2024 को वादी शुऐब पुत्र इरफान निवासी अलीनगर,थाना स्वार,रामपुर ने अज्ञात चोर द्वारा वादी की मो0सा0 चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना गलशहीद पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0-198/2024 धारा-303(2) BNS पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.01.2025 को वादी मौ0 नदीम पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम गोधी थाना भोजपुर,मुरादाबाद ने अज्ञात चोरो द्वारा वादी के भाई की मो0सा0 चोरी कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना गलशहीद पर मु0अ0सं0-001/2025 धारा- 303(2) BNS पंजीकृत किया गया।



उक्त दोनों मुकदमा से संबंधित मो0सा0 की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन,पर्यवेक्षण में थाना गलशहीद पर टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 11.01.2025 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग के दौरान 02 मो0सा0 स्पलैण्डर सहित 03 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर ही दो आरोपीगण(रवि तथा समीर) के पास से एक-एक अवैध तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये। मो0सा0 बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमे में धारा-317(2) BNS की वृद्धि की गई

मु0अ0सं0-001/2025 धारा- 303(2) BNS से संबंधित मो0सा0 स्पलैण्डर पर आरोपीगण 1. रवि कुमार पुत्र देवीदास पाल निवासी ग्राम टांडा डालचन्द थाना केलाखेडा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड 2. समीर पुत्र राजवीर सिंह कश्यप निवासी ग्राम अहमदाबाद थाना टांडा, रामपुर को 01-01 अवैध तमंचे 12 बोर तथा 01-01 जिंदा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचे व कारतूस की बरामदगी को आधार पर आरोपीगण रवि तथा समीर उपरोक्त के विरुद्ध थाना गलशहीद पर क्रमश:- मु0अ0सं0 03/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 4/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये।

मु0अ0सं0-198/2024 धारा-303(2) BNS से संबंधित मु0सा0 स्पलैण्डर के साथ आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र गुरचरन सिंह नि0 ग्राम बॉसखेडा चौकी बेरिया दौलत थाना केलाखेडा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी:-

दो मु0सा0 स्पलैण्डर

दो अवैध तमंचा 12 बोर व 01-01 जिंदा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार आरोपीगण:-

1. रवि कुमार पुत्र देवीदास पाल निवासी ग्राम टांडा डालचन्द थाना केलाखेडा, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड । (संबंधित 001/2025 धारा- 303(2) BNS)
2. समीर पुत्र राजवीर सिंह कश्यप निवासी ग्राम अहमदाबाद थाना टांडा, रामपुर । (संबंधित मु0अ0सं0-001/2025 धारा- 303(2) BNS)
3. जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुत्र गुरचरन सिंह नि0 ग्राम बॉसखेडा चौकी बेरिया दौलत थाना केलाखेडा जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड ।(संबंधित मु0अ0सं0-**198/2024 धारा-303(2) BNS**)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना गलशहीद मुरादाबाद ।
- उ0नि0 श्री अमर मलिक थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।
- उ0नि0 श्री रजत कुमार थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।
- उ0नि0 श्री ज्योतिष कुमार थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।
- उ0नि0 श्री ओम पुण्डीर थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।
- का0 मोनू थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।
- कां0 सुमित पंवार थाना गलशहीद,मुरादाबाद ।

3-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने,गर्भपात कराने तथा जान से मारने की धमकी देने आदि का एक आरोपी गिरफ्तार,थाना कटघर:-

अवगत कराना है दिनांक 10.01.2025 को वादिनी निवासी थाना कटघर क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने ,गर्भवती होने पर गर्भपात कराने तथा अभियुक्तगण के परिजनों द्वारा गाली-गलौज,मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हुये धर्म परिवर्तन करने के लिये मजबूर करने आदि के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना कटघर पर मु0अ0सं0-018/25 धारा- 64(2)m/89/115(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस -2023 व 3/5(2) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही/साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 11.01.2025 को व0उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह उज्जवल



द्वारा मय हमराही पुलिसबल के आरोपी आसिफ पुत्र स्व0 नवी जान निवासी ग्राम इमलाक थाना कटघर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

आसिफ पुत्र स्व0 नवी जान निवासी ग्राम इमलाक थाना कटघर, मुरादाबाद

4-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 11.01.2025 को थाना मझोला पुलिस द्वारा 01 आरोपी, थाना भोजपुर पुलिस द्वारा 02 आरोपी, थाना बिलारी पुलिस द्वारा 01 आरोपी, थाना कटघर पुलिस द्वारा 01 आरोपी को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति व्यवस्था

कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

विवरण निम्नवत है-

1. अतुल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी सिरसी थाना हजरतनगर गढी जनपद सम्भल हाल पता पार्श्वनाथ सोसायटी थाना मझोला, मुरादाबाद ।
2. नबी जान पुत्र भूरा निवासी गनीमतनगर थाना भोजपुर, मुरादाबाद ।
3. फुरकान पुत्र भूरा निवासी गनीमतनगर थाना भोजपुर, मुरादाबाद ।
4. शाहरुख पुत्र मुख्तयार निवासी मौ0 अन्सारियान आजाद पब्लिक स्कूल कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।
5. अब्दुल रऊफ खां पुत्र हाशम खां निवासी मौहल्ला रहमत नगर थाना कटघर, मुरादाबाद ।

